राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :–04/2025

दायर तारीख 24/01//2025

अनवान

1. गट्टू पुत्री सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
2. दुर्गा पुत्री सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
3. दिनेश पुत्र सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
4. नन्दकंवर पुत्री सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
5. राधेश्याम पुत्र सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
6. राधा देवी पत्नि सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
7. लाली पुत्री सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
8. सुमित्रा पुत्री सीताराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।

.... प्रार्थीगण

बनाम

01. कालु पुत्र खाना जाति तेली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
02. प्रभुलाल पुत्र खाना जाति तेली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
03. भागुती देवी पत्नि प्रभुदास जाति बैरागी उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
04. हीरा पुत्र खाना जाति तेली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
05. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्यामपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
06. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

.... विपक्षीगण

उपस्थित : 1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री घनश्याम धाकड़ – अधिवक्ता विपक्षीगण सं0 1, 4

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 06/01/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा स्थित अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 42 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 43 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 44/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 2.1691 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता जो प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात से होकर विपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 1244/34 रकबा 2.5900 हैक्टेयर भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ होकर आगे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ते में पहुंचता हैं। प्रार्थीगण एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में रास्ते के आलामात मौजूद है विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 1244/34 में उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया के पास उक्त रास्ते के अलावा अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु, टेक्टर बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की उक्त आराजीयात पर स्थित 15 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार हैं।

अतः उक्त रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखो में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2074—2077 ग्राम धनवाड़ा प0ह0 माल का खेड़ा एवं नजरी नक्शा उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 24.01.2025 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र/रजिस्टर्ड डाक भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता घनश्याम धाकड ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/2081 दिनांक 06.11.2025 से तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

उक्त संबंध में तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2025/2064 दिनांक 24.12.2025 से निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का माल का खेडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धनवाडा के खाता संख्या 71 पर आ0नं0 42, 43, 44/1 किता 3 रकबा 2.1691 है0 भूमि कालू, हीरा, प्रभु पिता खाना, दिनेश, राधेश्याम, गट्टू, दुर्गा, नन्दकंवर, लाली, सुमित्रा पिता सीताराम, राधादेवी पत्नी सीताराम तेली (रहन व हिस्सा जमाबन्दी खाता अनुसार) सा0 उन्द्रो का खेड़ा के खातेदारी हक से दर्ज है। दिनेश, राधेश्याम, गट्टू, दुर्गा, नन्दकंवर, लाली, सुमित्रा पिता सीताराम, राधादेवी पत्नी सीताराम तेली ने अपनी उपरोक्त वर्णित सामलाती कृषि भूमि पर जाने हेतु ग्राम धनवाडा की आराजी नं0 1244/34 से होते हुये 15 फीट चौडाई के रास्ते हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं जो निम्नानुसार हैं :—

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	नाम खातेदारान्
1.	1244/34	2.5900	0.0396	कालू पुत्र खाना 1/6 तेली रहन BRKGB श्यामपुरा, प्रभु पुत्र खाना 1/24 तेली, हीरा पुत्र खाना 1/6 तेली सा. उन्द्रो का खेड़ा, भागुतीदेवी पत्नी प्रभुदास 1/2 बैरागी, मनोज पुत्र भवंरलाल 1/16 लीला पत्नी मनोज 1/16 बैरागी सा. माल का खेडा
		2.5900	0.0396	

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम धनवाडा की आराजी नं0 32 रकबा 0.4290 है0 गेमु0 रास्ता से जाकर लगता है। मौका स्थिति अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का रास्ता हैं व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं. 1244/34 एस.एच., एन.एच., औधोगिक क्षेत्र व स्वीकृत व संभावित खनन क्षेत्र से 01 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है।

ग्राम धनवाडा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 1244/34 रकबा 2.5900 है0 में से 0.0396 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 723000/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 28631/— रूपये का दुगुना से 57262/— रूपये की राशि बनती है। तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस उभयपक्षकारान सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :—

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम धनवाडा के खाता संख्या 71 पर आ0नं0 42, 43, 44/1 किता 3 रकबा 2.1691 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु नाम खातेदारान् कालू पुत्र खाना 1/6 तेली रहन BRKGB श्यामपुरा, प्रभु पुत्र खाना 1/24 तेली, हीरा पुत्र खाना 1/6 तेली सा. उन्द्रो का खेड़ा, भागुतीदेवी पत्नी प्रभुदास 1/2 बैरागी, मनोज पुत्र भवंरलाल 1/16 लीला पत्नी मनोज 1/16 बैरागी सा. माल का खेड़ा की ग्राम धनवाडा की आराजी नं0 1244/34 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 0.0396 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम धनवाडा की आराजी नं0 1244/34 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 0.0396 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 723000/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 28631/— रूपये का दुगुना से 57262/— रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 06 / 01 /2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां